पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

सहकारी समितियों को बड़ी सौगात: पीसीएफ ने धान एवं गेहूं खरीद कमीशन के भुगतान हेतु जनपदों को भेजे ₹47.18 करोड़

सहकारिता मंत्री के निर्देश पर धान खरीद में समितियों को अब मिल रहा 100 प्रतिशत कमीशन; पूर्व में मिलती थी मात्र 60 प्रतिशत राशि

जनपदीय अधिकारियों को बिना विलम्ब तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश

धान खरीद मद में 59 जनपदों को ₹38.55 करोड़ तथा गेहूं खरीद मद में 75 जनपदों को ₹8.63 करोड़ की धनराशि प्रेषित

दिनांकः 19 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जे0पी0एस0 राठौर द्वारा सहकारी समितियों के लंबित देयकों व कमीशन का भुगतान शीघ्र कराए जाने के सम्बन्ध में दिए गए सख्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. (पीसीएफ) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीसीएफ द्वारा धान एवं गेहूं खरीद वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत समिति कमीशन के भुगतान हेतु कुल ₹47.18 करोड़ की सम्पूर्ण धनराशि प्रदेश के विभिन्न जनपदों को प्रेषित कर दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश भर की सहकारी समितियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

पीसीएफ के प्रबन्ध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि धान खरीद वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत प्रदेश के 59 जनपदों को कुल ₹38.55 करोड़ तथा गेहूं खरीद वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों को कुल ₹8.63 करोड़ की धनराशि समिति कमीशन मद में आवंटित की गई है। प्रेषित की गई इस धनराशि में प्रमुख रूप से जनपद शाहजहांपुर को ₹2.75 करोड़, बहराइच को ₹2.31 करोड़, सीतापुर को ₹1.76 करोड़, पीलीभीत को ₹1.62 करोड़ तथा जौनपुर को ₹1.54 करोड़ की राशि भेजी गई है। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्री के विशेष निर्देश पर अब सहकारी समितियों को धान खरीद में कमीशन का भुगतान शत–प्रतिशत (100 प्रतिशत) किया जा रहा है, जो कि पूर्व में केवल 60 प्रतिशत ही देय था। शत–प्रतिशत कमीशन मिलने से समितियों को अपने कर्मचारियों को पर्याप्त कमीशन व लाभ वितरण करने में सुगमता होगी तथा समितियों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

प्रबन्ध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला ने समस्त जनपदीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जनपदों को प्रेषित की गई इस धनराशि का भुगतान सम्बन्धित सहकारी समितियों को बिना किसी विलम्ब के तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही कतई

स्वीकार्य नहीं होगी और विलंब होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। पीसीएफ प्रशासन सहकारी समितियों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और फेडरेशन का निरन्तर प्रयास है कि समितियों के देयकों का समयबद्ध निस्तारण हो, जिससे वे सुचारू रूप से कार्य करते हुए किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराती रहें।

सम्पर्क सूत्र– ओवैदुर रहमान

मनीष कुमार चौरसिया/04:35 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov